



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15,1990 द्वारा पारित)


Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication

(Setup by Act. No.15,1990 of M.P. Legislative Assembly)

सूचना

सत्र 2022-23 में कन्या छात्रावास (बिशनखेड़ी) में प्रवेश हेतु जारी प्रथम एवं द्वितीय सूची के तारतम्य में इच्छुक छात्राओं ने छात्रावास में निवास हेतु अपनी लिखित सहमति प्रदान की थी, किन्तु आज दिनांक 09.02.2023 तक जिन छात्राओ द्वारा अभी तक छात्रावास में प्रवेश नहीं लिया है, और न ही प्रवेश निरस्त किये जाने की किसी प्रकार की सूचना दी है ऐसी सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15.02.2023 तक यदि वह छात्रावास में प्रवेश नहीं लेती है, तो उनका छात्रावास प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

दिनांक : 09.02.2023


(डॉ. सुनीता द्विवेदी)
चीफ वार्डन